झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–175 वर्ष 2017

शोभना शरण, पिता–स्वर्गीय टी0एन0 शरण .... याचिकाकर्त्ता

बनाम

1. प्रधान सचिव के माध्यम से, झारखंड राज्य

   मानव संसाधन विकास विभाग, उच्च और तकनीकी शिक्षा, झारखंड सरकार

2. निदेशक, उच्च शिक्षा मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार, रांची

3. रांची विश्वविद्यालय अपने कुलपति, रांची के माध्यम से

4. कुलपति, रांची विश्वविद्यालय, रांची

5. निबंधक, रांची विश्वविद्यालय, रांची

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री (डॉ0) एस0एन0 पाठक**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री प्रशांत पल्लव, अधिवक्ता

रांची विश्वविद्यालय के लिए :– सुश्री जे0 मजुमदार, अधिवक्ता

8 / 27.11.2017 पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

याचिकाकर्त्ता ने उत्तरदाताओं के अधिकारियों पर एक निर्देश के लिए तत्काल रिट याचिका को प्राथमिकता दी है जो कि पत्र संख्या बी0एस0यू0 / 36 / 80–5270 दिनांक 18.11.1980 के अनुसार वेतन संरक्षण का लाभ देने के लिए हैं, जो कर्मचारियों की सेवा की सामान्य शर्त निर्धारित करता है। रांची विश्वविद्यालय सहित विभिन्न

विश्वविद्यालयों में जहाँ क्लॉज 21 (2) विशेष रूप से वेतन संरक्षण के लाभों का विस्तार करता है, जो एक कर्मचारी को दिया जाना चाहिए, जिसके द्वारा किसी भी अन्य विश्वविद्यालय में उनकी नियुक्ति से ठीक पहले किसी मूल वेतन को ध्यान में रखने के बाद उनका वेतन तय किया जाएगा। अन्य विश्वविद्यालय/याचिकाकर्त्ता ने पटना विश्वविद्यालय से लिए गए अपने अंतिम वेतन के अनुसार 15,600 रू0–39,600 रू0 के वेतन बैंड में अपने वेतन को 6,000/– रू0 के ग्रेड पे के साथ तय करने के लिए उत्तरदाताओं पर एक दिशा के लिए प्रार्थना की है, जहाँ वह नियुक्त होने से पहले काम कर रहा था, रांची विश्वविद्यालय में व्याख्याता के रूप में। याचिकाकर्त्ता ने उसके द्वारा लिए गए अंतिम वेतन के अनुसार वेतन सुरक्षा का लाभ देने के बाद वेतन का बकाया जारी करने के निर्देश के लिए प्रार्थना की है।

शुरूआत में, याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने रांची विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 08.06.2015 (अनुबंध–15) और 23.06.2015 (अनुबंध–16) के पत्रों पर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया और कहा कि उसी के अनुसार जारी किया गया है, डॉ0 जय प्रकाश शर्मा के मामले में डब्ल्यू0पी0 (एस0)संख्या 4460/2010 में पारित आदेश दिनांक 08.08.2012 के आलोक में जारी किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्त्ता का मामला इसी तरह का है और इस तरह इस रिट याचिका को याचिकाकर्त्ता को परिणामी लाभ देने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश देने का निस्तारण किया जा सकता है।

श्रीमती जे0 मजुमदार, रांची विश्वविद्यालय की ओर से पेश वकील ने कहा कि यदि याचिकाकर्त्ता का मामला डॉ0 जय प्रकाश शर्मा के समान है, तो परिणामी आदेश कानून के अनुसार उन्हें समान या समान लाभ प्रदान करते हुए पारित किए जाय।

रिट याचिका के रिकॉर्ड और दस्तावेजों के साथ–साथ उत्तरदाताओं के काउंटर हलफनामे के अवलोकन से मुझे लगता है कि याचिकाकर्त्ता का मामला डॉ0 जय प्रकाश शर्मा के समान है और इस तरह, याचिकाकर्त्ता भी इसी तरह के लाभों के हकदार हैं।

इन परिस्थितियों में, जैसा कि याचिकाकर्त्ता का मामला भी इसी तरह का है और पूरी तरह से डॉ0 जय प्रकाश शर्मा के मामले से आच्छादित उत्तरदाताओं को सभी पारिणामिक लाभ देने के लिए याचिकाकर्त्ता के मामले पर विचार करने के लिए निर्देशित किा जाता है और इस आशय का एक आदेश इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने/उत्पादन की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर पारित किया जाता है।

इस रिट याचिका को तद्नुसार उपरोक्त निर्देशों के साथ निपटाया जाता है।

(डॉ0 एस0एन0 पाठक, न्याया0)